कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

घर-घर औषधि योजना

क्रमांक एफ 3(7)2022/कार्मिक/प्रमुवसं/शीघ्र लिपिक/10242 दिनांक 17/10/2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा–2018 में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2 (2)प्र.सु./अनु–3/2022 दिनांक 19.09.2022 से प्राप्त चयन सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयनित निम्नांकित शीघ्रलिपिक अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत शीघ्रलिपिक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप नियत मासिक पारिश्रमिक 23700/– रूपये एवं तत्पश्चात पे मैट्रिक्स लेवल–10 (न्यूनतम वेतन रूपये 33800/– एवं नियमानुसार देय अन्य भत्ते) में अद्योलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र सं	अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	आवेदक की फोटो	रैंक नं / रोल नं	वर्ग	जन्म दिनांक	निवास स्थान का पता व गृह जिला	आवंटन कार्यालय का नाम
1	सिद्धार्थ रातावाल	नेताराम रातावाल		2728/ 177649	एस.सी.	18.08.2000	जयपुर	उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थानजयपुर
2	दिलीप कुमार मीना	कैलाश प्रसाद मीना		2707/157511	एस.टी.	19.07.1993	दौसा	
3	विनोद कुमार मीना	राम सहाय मीना		2723/158215	एस.टी.	05.03.2001	दौसा	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर

1. अभ्यर्थियों की नियुक्तियां पूर्णतः प्रोविजनल है। संबंधित सेवा नियमों में किसी भी प्रकार के होने वाले संभावित संशोधन के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी अथवा समाप्त भी की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 03 सप्ताह के अन्दर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे तथा किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे।

4. परिवीक्षाधीन अवधि में नियमानुसार कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम एवं संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
6. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर ही होगा।
7. अभ्यर्थियों द्वारा अपने संबंधित नियंत्रण अधिकारी को कार्यग्रहण समय फोटो युक्त पहचान पत्र, दो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण–पत्र/दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेंगे।
8. अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संतान की सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
9. अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र के अध्यधीन रहेगी। अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण के समय जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त से जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्रण अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थियों के जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र में यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इस कार्यालय को तत्काल सूचना प्रस्तुत करेगा।
11. अभ्यर्थी द्वारा किसी कारणवश संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है तो उन्हें 50/– के निर्धारित नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित नियंत्रण अधिकारी उक्त पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र मूल ही इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
12. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज भविष्य में असत्य पाये जाते है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दी जायेगी एवं अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
15. अभ्यर्थी जो पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा/केन्द्र सेवा/निगम में कार्यरत है उन्हें कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक कार्यालय द्वारा जारी कार्यमुक्त किए जाने का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र एवं उप श्रेणी (Sub Category) के प्रमाण पत्र का सत्यापन नियन्त्रण अधिकारी अपने स्तर पर संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं संबंधित जारीकर्ता कार्यालय से अनिवार्य रूप करवायेंगे, तदोपरांत सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(डॉ दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

D:\Users\Admin\Desktop\Savita ji Setno oder\Mahaveer Singh Nathawat 12 Oct.. 2022.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

घर-घर औषधि योजना

क्रमांक एफ 3(7)2022/कार्मिक/प्रमुवसं/शीघ्र लिपिक/ 10243-53 दिनांक 17/10/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2 (2)प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 19.09.2022 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर।
5. उप वन संरक्षक एवं प्राविधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी कार्मिक-स्ट्रेन्थ अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
8. श्री सिद्धार्थ रातावाल पुत्र श्री नेताराम रातावाल निवासी जी-54 सरस्वती नगर गैटोर जयपुर राजस्थान पिन कोड न. 302017 ।
9. श्री दिलीप कुमार मीना पुत्र श्री कैलाश प्रसाद मीना निवासी ग्राम झरवालों की ढाणी तहसील पोस्ट बसवा जिला दौसा।
10. श्री विनोद कुमार मीना पुत्र श्री राम सहाय मीना निवासी गांव डाबर कला पोस्ट निजामपुर तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा (303511)
11. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

D:\Users\Admin\Desktop\Savita ji Setno oder\Mahaveer Singh Nathawat 12 Oct.. 2022.docx